

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक- 19.4.2019

संख्या-12/प0-5001/17-सा0प्र0- 4892 / भारत के माननीय प्रधान मंत्री का दिनांक 11.04.2019 को भागलपुर परिभ्रमण कार्यक्रम के अवसर पर कानून-व्यवस्था के संधारण हेतु विभागीय आदेश सं0-4855 दिनांक 08.04.2019 के द्वारा भागलपुर समाहरणालय में प्रतिनियुक्त श्री सियाराम सिंह, 970/11, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, मुंगेर एवं श्री राजा रामचन्द्र राम, 1137/11, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुंगेर सदर को प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री फिरोज अख्तर, 1031/11, जिला परिवहन पदाधिकारी, बौका एवं श्री अमिताभ सिन्हा, 1027/11, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बौका को दिनांक 11.04.2019 के लिए समाहरणालय, भागलपुर में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

2. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर के निर्देशन में कार्य करेंगे और प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरान्त स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर खौगदान कर लेंगे ।

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प्र0- 4892/पटना, दिनांक- 19.4.2019
प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, कटिहार/जिला पदाधिकारी, बौका/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने)/संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव